

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र आदेश

संख्या-2/एम-45/2016-

पटना, दिनांक / / 2019

विभागीय आदेश ज्ञापांक 863(2) दिनांक-19.03.2019 की कंडिका (1) (ग) में अंकित "उप निदेशक, एस०टी०आई० उप निदेशक ब्लड शेपटी बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना" के स्थान पर "उप निदेशक एस०टी०आई० बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना" समझा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

ह० / -

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/एम-45/2016- 914(2)

पटना, दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट कोषांग वित्त विभाग,

बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०) वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना/जिला पदाधिकारी मधेपुरा/सिविल सर्जन मधेपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावकोठी बेगूसराय/राजेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नावकोठी बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3-4-2019
सरकार के संयुक्त सचिव
8/5
3-4-19